

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, रॉची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक : १८ - ५ - २०१२

विषय :- मॉग संख्या-५०-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-७९६-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-२० पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य, विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४३ अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण, विपत्र कोड-५०P470200796200543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	५०-लघु सिंचाई विभाग /४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	७९६-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / २० पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य	०५-निर्माण, ४३ अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण / ५०P470200796200543	158.00


आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ अन्तावन लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ के बजट उपबंध ₹ ३५०.०० लाख (₹ तीन करोड़ पचास लाख) मात्र के अन्तर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षराशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अन्तर्गत परिशिष्ट-१ में वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि०)


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

L1
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- ४।

रॉची, दिनांक :- १६-७-२०१२

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/खूंटी/जमशेदपुर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

L1
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- ४।

रॉची, दिनांक :- १६-७-२०१२

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव, योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

Gopal
(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

Gopal
(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)

Sudhakar
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

Niraj
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

L1
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

卷之三

10

A vertical column of seven small, faint, handwritten-style diagrams or sketches arranged vertically. The top two sketches appear to be stylized floral or leaf-like motifs. The middle sketch is a vertical rectangle containing the numbers '1' and '2'. The bottom four sketches are more abstract, possibly representing geometric shapes like circles or ovals.

卷之三

1920-1921
1921-1922
1922-1923
1923-1924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

1990-91

卷之三

क्र.	लघु शिंचाई प्रमाणित	जिला	प्रब्लेम	प्रशासनिक स्थिरता का		विविध तिथि 2012-13 में आदेश	फ़िल		
				प्रशासनिक	प्रशासनिक	संख्या 12	पूर्ण का	कठिनान	आदेश
स्थीरता का	स्थीरता की	तक वर्ष	प्रभाव	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्यम शिंचाई घोषना का पुनरर्थापन									
1 लघु शिंचाई प्रमाणित, खेड़ी	रेखी	झुण्ड	1	इरली मध्यम शिंचाई घोषना का उत्तीर्ण	46/03.03.11	80,160	28,644	0.000	25,000
						ग्राम	0.000	25,000	25,000
उद्धव शिंचाई घोषनाओं का पुनरर्थापन।									
2 लघु शिंचाई प्रमाणित, खेड़ी	खेड़ी	खेड़ी	1	जामुआदार उ.सि.यो. का पुनरर्थापन	50/07.03.11	6,750	0.556	0.000	
			2	माहिल उ.सि.यो. का पुनरर्थापन	50/07.03.11	9,280	1.993	0.000	20,000
			3	नवाड़ीह उ.सि.यो. का पुनरर्थापन	50/07.03.11	21,000	12.388	0.000	
			4	ईवाहाटु उ.सि.यो. का पुनरर्थापन	26/10.12.10	33,180	17.785	0.000	5,000
						ग्राम	0.000	25,000	25,000
काँके	1	बोरया (उत्तर) उ.सि.यो. का पुनरर्थापन							
	2	बोरया (दक्षिण) उ.सि.यो. का पुनरर्थापन							
	3	विसरिया (पुर्व) का उ.सि.यो. का पुनरर्थापन							
	4	विसरिया (पश्चिम) उ.सि.यो. का पुनरर्थापन							
	5	तुरुप उ.सि.यो. का पुनरर्थापन							
अनाङड़ा	6	जामुआरी उ.सि.यो. का पुनरर्थापन							
अनाङड़ा	7	पार्शु उ.सि.यो. का पुनरर्थापन							
						ग्राम	0.000	40,000	40,000

三
九
七

12. *Black Kite* (Aquila) (19)

1136
1137
1138
1139

क्र.	लघु सिंचाई प्रमाणल	प्रभाग	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन		अन्यकिं			
				प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 12	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

तालाब योजनाओं का पुनर्स्थापन।

4	लघु सिंचाई प्रमाणल, रौची	रौची	सिल्ली	1	साहेबबांध तालाब योजना का पुनर्स्थापन	57/28.03.11	168.480	150.000	0.000	18.000	18.000	
									योग	0.000	18.000	18.000

सिंचाई कृप

बुड्डु	1	48 अदद 20' व्यास के कृप						0.000	10.000		
ओरमांझी	2	1 अदद 20' व्यास के कृप						0.000	0.000		
सिल्ली	3	2 अदद 20' व्यास के कृप						0.000	0.000		
कॉके	4	3 अदद 20' व्यास के कृप						0.000	0.000		
माण्डर	5	4 अदद 20' व्यास के कृप						10.000	0.000		
चान्हो	6	5 अदद 20' व्यास के कृप						0.000	0.000		
रातु	7	6 अदद 20' व्यास के कृप						0.000	0.000		
बेढो	8	7 अदद 20' व्यास के कृप						0.000	0.000		
								योग	0.000	10.000	10.000

मध्यम सिंचाई योजना का जीणोद्धार

लघु सिंचाई प्रमाणल, जमशेदपुर	पूर्ण सिंहभूम	पटमदा	1	साहेबबांध तालाब योजना का जीणोद्धार	56/28.03.11	138.370	50.000	0.000	40.000	40.000	
								योग	0.000	40.000	40.000

कुल योग

0.000 158.000 158.000

आवंटन राशि – ₹ एक करोड़ अन्तावन लाख मात्र।

(ओंकार नाथ)
सहायक अमियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उपसचिव (अमि.)

(सुबोध कुमार रित्ता)
संयुक्त सचिव (अमि.)

(बी. सी. निराम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

8
18 - 7 - 2012